का अनिवार्य तत्त्व है। यज्ञ के बिना वह "अयज्ञिय" कहा जाता था —"**अयज्ञियो वा एष योऽपत्नीक**" एकाकी पुरुष सर्वदा अपूर्ण है क्योंकि पत्नी उसका अर्द्ध भाग है। मनु ने भी आयु का द्वितीय भाग गृहस्थाश्रम में व्यतीत करने के लिए माना है। याज्ञवल्क्य स्मृति में तैत्तिरीय ब्राह्मण के ऊपर के वचन का समर्थन इस प्रकार किया गया है—**अपत्नीको नरो भूय कर्मभ्यो न जायते ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि वैश्य शूद्रोपि वा नरैः**। कोई भी अपत्नीक व्यक्ति चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या वैश्य अथवा शूद्र, धार्मिक क्रियाओं का अधिकारी नहीं हो सकता। आशय यही है कि जब जीवन की सर्वाङ्गीण क्रियाओं में नारी का महत्त्व अनिवार्य है तो फिर विवाह-संस्कार के महत्त्व के सम्बन्ध में कहना ही क्या ?

विभिन्न स्मृतियों में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम क्रमशः (१) ब्राह्म, (२) दैव, (३) आर्ष, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) गान्धर्व (७) राक्षस तथा (८) पैशाच हैं।[1]

आश्वलायन-गृह्य-सूत्र में भी इसका विधान उपलब्ध होता था। इन आठ प्रकार के विवाहों में प्रथम चार प्रकार के प्रशस्त माने जाते हैं, शेष अप्रशस्त।

पैशाच—सबसे अधिक अप्रशस्त विवाह का प्रकार पैशाच था, इसके अनुसार वह छल-कपट के द्वारा कन्या पर अधिकार प्राप्त कर लेता था। दूसरे शब्दों में अचेतन, सुप्त या मत्त कन्या के साथ मैथुन करना पैशाच विवाह है।

एकान्त में एकाकी, सुप्त अथवा मत्त कन्या के साथ मैथुन करना ही पैशाच विवाह का प्रकार है।[2] सम्भव तो यह भी है कि पश्चिमोत्तर भारत की पिशाच जाति में इसका प्रचलन रहा होगा; वहीं से यह नामकरण हुआ है।

राक्षस—मनु के कथनानुसार रोती-पीटती कन्या को उसके सम्बन्धियों को मार-पीटकर बलात् अपहरण कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था।[3]

यह पद्धति प्राचीन युद्धप्रिय जनों में प्रचलित थी। मनु के अनुसार क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह अनुचित नहीं है। महाभारत में भीष्म ने भी इसे क्षत्रियों के लिए प्रशस्त माना है। याज्ञवल्क्य आदि इस विवाह पद्धति को युद्ध से उत्पन्न हुआ मानते हैं—"**युद्ध हरणेन राक्षसः राक्षसो युद्ध हरणादिति**।"

गान्धर्व—विवाह का यह तीसरा प्रकार था। आश्वलायनगृह्यसूत्र के अनुसार जिसमें पुरुष एवं स्त्री परस्पर निश्चय कर एक दूसरे के साथ गमन करते हैं, वह

Scanned with CamScanner

गान्धर्व विवाह कहा जाता है। हारीत और गौतम के मत में जिसमें कन्या स्वयं अपने पति का चुनाव करती है, वह गान्धर्व विवाह कहलाता है। मनु के अनुसार कन्या एवं पुरुष कामुकता वश जो स्वेच्छा से संभोग करते हैं वह गान्धर्व विवाह कहलाता है।[1]

यह विवाह प्राचीनतम विवाह प्रकारों में से एक है। अथर्ववेद में एक स्थल पर गन्धर्व पतियों का उल्लेख मिलता है। हिमाचल के निकट भू-भाग में अधिक प्रचलित होने से इसकी गान्धर्व नाम से प्रसिद्धि हुई है। महाभारत में इस विवाह के प्रकार की प्रशंसा की गई है, क्योंकि इसके मूल में दो व्यक्तियों का पारस्परिक प्रेम होता है—"सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रः श्रेष्ठ उच्यते।" किन्तु धार्मिक दृष्टिकोण इस विवाह को अच्छा नहीं मानता है।

आसुर—आश्वलायनगृह्य-सूत्र विवाह के इस प्रकार को गान्धर्व से अच्छा मानता है। मनु के कथनानुसार जिस विवाह में पुरुष कन्या के माता-पिता को यथाशक्ति धन देकर कन्या को प्राप्त कर लेता है, विवाह का वह प्रकार आसुर है।[2]

विवाह के इस प्रकार में धन ही प्रधान निर्णायक माध्यम होता है। वैसे तो यह सौदेबाजी ही थी जिसमें धन लेकर कन्या बेच दी जाती थी। कुछ धर्म शास्त्रकार इसे "मानुष" अभिधान प्रदान करते हैं।

प्राजापत्य—आश्वलायन गृह्य सूत्र के अनुसार जिस विवाह में पति-पत्नी को समान धर्म के आचरण का उपदेश दिया जाता था, वह प्रजापत्य विवाह का प्रकार था। "सहधर्मं चरत इति प्राजापत्य"।[3]

इस विवाह में पिता अपनी कन्या का पाणिग्रहण संस्कार योग्य वर के साथ कर देता था जिससे दोनों ही अपने नागरिक एवं धार्मिक कर्त्तव्यों का साथ-साथ पालन करें। प्राजापत्य नाम स्वयं इस बात का सूचक है कि नवदम्पति प्रजाति के प्रति अपना ऋण चुकाने अर्थात् सन्तान की उत्पत्ति, उसका पालन-पोषण करने के लिए ही विवाह कर रहे हैं।

आर्ष—यह विवाह पूर्वोक्त सभी से श्रेष्ठ है। इसमें कन्या का पिता वर से यज्ञादि विहित कार्य करने के लिए एक अथवा दो गो मिथुन प्राप्त करता था।[4]

Scanned with CamScanner

गोमिथुन ग्रहण करना कन्या का मूल्य नहीं था। भारतीय समस्त धर्म ग्रन्थों के अनुसार जब कोई युवक कन्या के पिता को एक गोमिथुन प्रदान कर उससे विवाह करता है तो वह 'आर्ष' कहलाता है। इस विवाह को 'आर्ष' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऋषि परम्परा में प्रचलित था। डा० अविनाशचन्द्र ने लिखा है—"जब उसके विस्तृत ज्ञान तथा आध्यात्मिक योग्यता के कारण किसी ऋषि के साथ किसी कन्या का विवाह किया जाता था तो विवाह का वह प्रकार आर्ष कहलाता था।"

दैव—आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार "ऋत्विजे वितते कर्मणि दद्यादलंकृत्य स दैव" इस विवाह के प्रकार में पिता कन्या को अलंकृत करके आरब्ध यज्ञ में पुरोहित को दे देता था। यह दान दैव यज्ञ के अवसर पर किया जाता था, अतः इस विवाह का नाम दैव था। बोधायन गृह्यसूत्र के अनुसार कन्या दक्षिणा के रूप में दी जाती थी—"दक्षिणासु दीयमानास्वन्तर्वेदि यत्तृत्विजे स दैवः" इसलिए इसे 'दैव' संज्ञा प्रदान की गई है। मनु के अनुसार यज्ञ में बड़े-बड़े विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान् को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना, वह दैव विवाह है।[1]

ब्राह्म—आश्वलायन गृह्यसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा वशिष्ठस्मृति के अनुसार ब्राह्म विवाह, विवाह का सर्वश्रेष्ठ प्रकार था। यह ब्राह्मणों के योग्य था, अतः इसे 'ब्राह्म' नामक संज्ञा दी गई है। इस विवाह में पिता सर्वगुण सम्पन्न वर को स्वयं आमन्त्रित कर उसका विधिवत् सत्कार कर दक्षिणा के साथ यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या का दान करता था।[2]

यह प्रकार आज भी प्रचलित है तथा इसका आभास हमें ऋग्वेदीय—सोम सूर्या के विवाह में भी मिल जाता है।

इन विवाहों के अतिरिक्त एक-दो विवाह के प्रकार और भी प्रचलित हैं किन्तु वे विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं हैं। सेनार्ट ने 'वैदिक इन्डेक्स' में लिखा है कि—

"आर्य लोग विवाह के विषय में सवर्ण तथा असगोत्र विवाह दोनों नियमों का अनुसरण करते थे।" वैदिक ग्रन्थों के पर्यालोचन से तथा विवाह के इन प्रकारों को पढ़कर हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उस काल में वर-वधू अत्यन्त प्रौढ़ होते थे; अतः समय-समय पर वर-वधू स्वेच्छया भी विवाह कर लिया करते थे।

Scanned with CamScanner

गान्धर्व विवाह कहा जाता है। हारीत और गौतम के मत में जिसमें कन्या स्वयं अपने पति का चुनाव करती है, वह गान्धर्व विवाह कहलाता है। मनु के अनुसार कन्या एवं पुरुष कामुकता वश जो स्वेच्छा से संभोग करते हैं वह गान्धर्व विवाह कहलाता है।[1]

यह विवाह प्राचीनतम विवाह प्रकारों में से एक है। अथर्ववेद में एक स्थल पर गन्धर्व पतियों का उल्लेख मिलता है। हिमाचल के निकट भू-भाग में अधिक प्रचलित होने से इसकी गान्धर्व नाम से प्रसिद्धि हुई है। महाभारत में इस विवाह के प्रकार की प्रशंसा की गई है, क्योंकि इसके मूल में दो व्यक्तियों का पारस्परिक प्रेम होता है—"सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रः श्रेष्ठ उच्यते।" किन्तु धार्मिक दृष्टिकोण इस विवाह को अच्छा नहीं मानता है।

आसुर—आश्वलायनगृह्य-सूत्र विवाह के इस प्रकार को गान्धर्व से अच्छा मानता है। मनु के कथनानुसार जिस विवाह में पुरुष कन्या के माता-पिता को यथाशक्ति धन देकर कन्या को प्राप्त कर लेता है, विवाह का वह प्रकार आसुर है।[2]

विवाह के इस प्रकार में धन ही प्रधान निर्णायक माध्यम होता है। वैसे तो यह सौदेबाजी ही थी जिसमें धन लेकर कन्या बेच दी जाती थी। कुछ धर्म शास्त्रकार इसे "मानुष" अभिधान प्रदान करते हैं।

प्राजापत्य—आश्वलायन गृह्य सूत्र के अनुसार जिस विवाह में पति-पत्नी को समान धर्म के आचरण का उपदेश दिया जाता था, वह प्रजापत्य विवाह का प्रकार था। "सहधर्म चरत इति प्राजापत्य"।[3]

इस विवाह में पिता अपनी कन्या का पाणिग्रहण संस्कार योग्य वर के साथ कर देता था जिससे दोनों ही अपने नागरिक एवं धार्मिक कर्त्तव्यों का साथ-साथ पालन करें। प्राजापत्य नाम स्वयं इस बात का सूचक है कि नवदम्पति प्रजापति के प्रति अपना ऋण चुकाने अर्थात् सन्तान की उत्पत्ति, उसका पालन-पोषण करने के लिए ही विवाह कर रहे हैं।

आर्ष—यह विवाह पूर्वोक्त सभी से श्रेष्ठ है। इसमें कन्या का पिता वर से यज्ञादि विहित कार्य करने के लिए एक अथवा दो गो मिथुन प्राप्त करता था।[4]

Scanned with CamScanner

गोमिथुन ग्रहण करना कन्या का मूल्य नहीं था। भारतीय समस्त धर्म ग्रन्थों के अनुसार जब कोई युवक कन्या के पिता को एक गोमिथुन प्रदान कर उससे विवाह करता है तो वह 'आर्ष' कहलाता है। इस विवाह को 'आर्ष' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऋषि परम्परा में प्रचलित था। डा० अविनाशचन्द्र ने लिखा है—"जब उसके विस्तृत ज्ञान तथा आध्यात्मिक योग्यता के कारण किसी ऋषि के साथ किसी कन्या का विवाह किया जाता था तो विवाह का वह प्रकार आर्ष कहलाता था।"

दैव—आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार "ऋत्विजे वितते कर्मणि दद्यादलंकृत्य स दैव" इस विवाह के प्रकार में पिता कन्या को अलंकृत करके आरब्ध यज्ञ में पुरोहित को दे देता था। यह दान दैव यज्ञ के अवसर पर किया जाता था, अतः इस विवाह का नाम दैव था। बोधायन गृह्यसूत्र के अनुसार कन्या दक्षिणा के रूप में दी जाती थी—"दक्षिणासु दीयमानास्वन्तर्वेदि यत्तृत्विजे स दैवः" इसलिए इसे 'दैव' संज्ञा प्रदान की गई है। मनु के अनुसार यज्ञ में बड़े-बड़े विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान् को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना, वह दैव विवाह है।[1]

ब्राह्म—आश्वलायन गृह्यसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा वशिष्ठस्मृति के अनुसार ब्राह्म विवाह, विवाह का सर्वश्रेष्ठ प्रकार था। यह ब्राह्मणों के योग्य था, अतः इसे 'ब्राह्म' नामक संज्ञा दी गई है। इस विवाह में पिता सर्वगुण सम्पन्न वर को स्वयं आमन्त्रित कर उसका विधिवत् सत्कार कर दक्षिणा के साथ यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या का दान करता था।[2]

यह प्रकार आज भी प्रचलित है तथा इसका आभास हमें ऋग्वेदीय—सोम सूर्या के विवाह में भी मिल जाता है।

Scanned with CamScanner